

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिरस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/नियुक्ति रसायन विज्ञान/पीएससी/2015/2017 प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 25.10.2016 द्वारा अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिरस्तावना, आवेदन पत्रों की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 25.10.2016 के पश्चात् जारी किये गये। इस प्रकार दिनांक 25.10.2016 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों मनीष अग्रवाल व अन्य द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 5267/2019 मनीष अग्रवाल व 15 अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 5267/2019 मनीष अग्रवाल व 15 अन्य बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.04.2019 में याचिका को एस.बी.सिविल संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.07.14 एवं एस.बी.सिविल संख्या 19179/2017 कृष्ण लाल व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30.10.17 से कवर्ड किया है। याचिका संख्या 7283/2014 में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.07.2014 में अभिनिर्धारित किया गया है कि "If the respondent no. 02 decides to place the petitioners above in seniority than the candidates who stood lower in merit, then the petitioners would be entitled to all benefits of seniority but they would be entitled only to notional benefits."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में रसायन विज्ञान से संबंधित याचिकार्थीमण ओम प्रकाश दादरवाल एवं बाबू लाल यादव द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 25.10.2016 के आधार पर स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.सं	नाम याचिकाथी	मेरिट क्रमांक	जन्म तिथि	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण दिनांक
1-	OMPRAKASH DADARWAL	528	04-08-1991	25-07-2018	28-07-2018
2-	BABU LAL YADAV	483	01-01-1979	25-07-2018	27-08-2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक रसायन विज्ञान के नियुक्ति आदेश दिनांक 25.10.2016 द्वारा कार्मिक मीनाक्षी चावला मेरिट क्रमांक-780 को नियुक्ति प्रदान की गई। जिसकी पालना में श्रीमती मीनाक्षी चावला द्वारा राउमावि कीकावास भीण्डर उदयपुर में दिनांक 26.10.2016 को कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 5267/2019 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 11.04.2019 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलाकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम-8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान(पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.17 19:59:07 IST
Reason: Approved

उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी मीनाक्षी चावला मेरिट क्रमांक-780 का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 25.10.2016 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में मीनाक्षी चावला द्वारा दिनांक 26.10.2016 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परीवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए हैं।

मीनाक्षी चावला द्वारा परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड-पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकाधियों के द्वारा परीवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक मीनाक्षी चावला द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकाधियों ओग प्रकाश दादरवाल व बाबू लाल यादव भी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परंतु वे सभी नोशनल परिलाभ के हकदार ही होंगे। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-4/रजीगृ/अव.या.सं 853/मनीष अग्रवाल/5267/19 दिनांक:-17/11/23
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान, जयपुर।
 2. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान, जयपुर।
 3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 4. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
 5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) मा0शि0/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
 6. सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय-हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ
 7. संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि।
 8. संबंधित कार्मिक।
- रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा निदेशक
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram

Designation: Director

Date: 2023.07.17 19:59:07 IST

Reason: Approved